

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक: एफ-1831/रापक/विधि/2018/ 410


दिनांक 16/10/18

अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
(प०क०) टोंक।

**विषय:—प्रकरण सं.10/2017 श्रीमती तारा देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित  
निर्णय दिनांक 28.02.2018 के क्रम में भुगतान हेतु चैकलिस्ट भिजवाने बाबत।**


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 395 दिनांक 18.9.18 द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान के आदेश जारी किये गये हैं, जिसका भुगतान प्रार्थिया को करने के संबंध में अविलम्ब सूचित करावें। प्रकरण में न्यायालय निर्णयानुसार ब्याज का भी निर्णय हुआ है। अतः यदि प्रार्थिया द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की अथवा नहीं ? तथा ब्याज की राशि की भी मांग करने की स्थिति में माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार ब्याज की गणना कर प्रपत्र व चैक लिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा जांच करायी जाकर अविलम्ब भिजवावें, ताकि प्रकरण का निस्तारण हो सके।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

  
अति० निदेशक (प०क०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. प्रभारी, सर्वर रुम को बेबसाइट पर मेल अपलोड करने बाबत।

  
अति० निदेशक (प०क०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर